<u>सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या</u>

जनपद–अमेठी

दिनांक 21,एवं 22 दिसम्बर, 2015

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से दो दिवसीय भ्रमण टीम डॉ अनिल कुमार मिश्रा महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, श्री मुकेश कुमार, परामर्शदाता, मातृ स्वास्थ्य एवं श्री सत्य प्रकाश, कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0, द्वारा फैजाबाद मण्डल के जनपद अमेठी की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 21,एवं 22 दिसम्बर, 2015 को किया गया है। परन्तु GM-NUHM द्वारा दिनोंक 22 को कोर्ट केश होने के कारण केवल दिनांक 21 को भ्रमण किया गया। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहपुर (नान एफ.आर.यू.)</u>

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहपुर में 03 मेडिकल आफिसर, लेब टेक्निषियन, ऑप्थेलमिक असिस्टेंट व डेन्टल हाइजिनस्टि अनुपस्थित मिले। भ्रमण टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ ए0 खान को तत्काल अवगत कराकर तुरंत कार्यवाही के निर्देष दिये गये।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400/–एवं रू 1000/– की धनराषि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अप्रैल से नवम्बर माह तक की अवधि में कुल 1665 प्रसव कराये गये जबकि 1665 प्रसव के सापेक्ष केवल 1330 लाभार्थियों का ही भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया। प्रसव के उपरान्त यथाशीघ्र लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराषि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया। जबकि आषा की भुगतान की स्थिति 100 प्रतिषत थी।
- प्रसव के पश्चात लाभार्थियों को जे0एस0वाई0 प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा था।
- जे0एस0एस0के0 के अर्न्तगत प्रसूती लाभार्थियो को मानक के अनुरूप भोजन प्रदान नही किया जा रहा था।
- स्वास्थ्य इकाई में ड्रग लिस्ट डिस्पले थी पर विजबिल नही थी जिसे दोबारा पेन्ट कराने के लिए कहा गया।
- आ0ई0सी0 के तहत सिटिजन चार्टर, स्तनपान, कंगारू देखभाल, संक्रमण से बचाव, प्रसव पूर्व जॉच, प्रसव पष्चात देखभाल के प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। एवं पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेष/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम में कोई भी प्रोटोकाल पोस्टर एवं पर्दे इत्यादि नही लगे थे।

- लेबर रुम में कलर कोडेड बिन भी उपस्थित नहीं थे।
- लेबर रुम में सभी ट्रे का रख रखाव उचित ढंग से नहीं था। जिसकी जानकारी विस्तृत रूप में दी गई।
- लेबर रुम में एक लेबर टेबुल टूटा था। जिसे बदलने के निर्देष दिये गये।
- रेफरल इन और रेफरल आउट रजिस्टर अपडेट नहीं था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहपुर के अर्न्तगत 28 उपकेन्द्र है जिनमें 8 उपकेन्द्र में ए0न0म0 नहीं है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहपुर में जेनरटेर उपलब्ध नहीं था।
- कोल्ड चेन रूम में नियमित टीकाकरण प्रोटोटाइप चिपकाया नही गया था।
- प्रत्येक आई0एल0आर0 डीपफ्रीजर 1 वोल्टेज स्टेबलाइजर से नही जुडा था।
- प्रत्येक आई0एल0आर0 डीपफ्रीजर में थरमामीटर नही थे।
- कोल्ड चेन हैन्डलर को डिफ्राटींग के बारे में जानकारी नही थी जिसके बारे में जानकारी दी गयी।
- वैक्सीन क्रम से नही रखी गयी थी जिसके बारे में जानकारी दी गयी।
- बी0सी0जी0 हेपेटाइटिस बी0 की जीरो डोज नही दी जा रही थी।
- उक्त कमियो के बारे में सी0ए0ओ0 को अवगत कराया गया तथा महाप्रबंधक डा0 ऐ0के0 मिश्रा द्वारा निर्देश दिया गया कि इन कमियो में अति शीघ्र सुधार किया जाय।

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीषपुर (एफ.आर.यू.)</u>

- अस्पताल परिसर की साफ–सफाई व्यवस्था संतोष जनक नहीं थी।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली की धनराषि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अप्रैल से माह नवम्बर तक की अवधि में कुल 3400 प्रसव कराये गये जबकि 3400 प्रसव के सापेक्ष केवल 2217 लाभार्थियों का ही भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया था। प्रसव के उपरान्त यथाशीघ्र लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराषि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वित्तीय वर्ष 2015–16 मे अब तक 9 सीजेरियन प्रसव कराया गया है अस्पताल में सीजेरियन प्रसव की सेवा प्रदान किये जाने हेतु आन काल ब्यवस्था के तहत प्राइवेट/सरकारी डॉक्टरो के पैनल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अनुबन्ध कर सीजेरियन प्रसव की सेवा सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।
- प्रसव के पश्चात लाभार्थियों को जे0एस0वाई0 प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा था। चिकित्सा प्रभारी को प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी भी नही थी। ए0सी0मो0 एवं

डी0सी0पी0एम को प्रमाण पत्र जिला स्तर से प्रिन्ट कराकर समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।

- सिक न्यूबार्न केयर यूनिट (SNCU) क्रियाशील पायी गयी एवं यूनिट में रेडियन्ट वार्मर उपलब्ध थे जिसमे न्यूबार्न बेबी एडमिटिड थे। यूनिट की साफ सफाई अच्छी थी।
- मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत फैसिलिटी बेस्ड मातृ मृत्यु समीक्षा समिति कमेटी बनी हुई थी। लेकिन माह अप्रैल से माह नवम्बर तक की अवधि में षून्य रिपोर्टिंग की गई जो कि अत्यन्त खेद का विषय था। अतः इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और मातृ मृत्यु समीक्षा की विषेस्ता के बारे में बताया गया।
- अस्पताल परिसर में सुझाव पेटिका उपलब्ध थी लेकिन उसका कोई अभिलेख उपलब्ध नही था।,,
- आ0ई0सी0 के तहत स्तनपान, कंगारू देखभाल, संक्रमण से बचाव, प्रसव पूर्व जॉच, प्रसव पष्चात देखभाल के प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे एवं पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेष/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम में कोई भी प्रोटोकाल पोस्टर एवं पर्दे इत्यादि नही लगे थे।
- लेबर रुम में कलर कोडेड बिन भी उपस्थित नहीं थे।
- लेबर रुम में सभी टे का रख रखाव उचित ढंग से नहीं था। जिसकी जानकारी विस्तत रूप में दी गई। रेडियन्ट वार्मर, ऐम्बु बेग, ऑक्सीजन सेलेण्डर एवं सक्सन मषीन क्रियाषील पाई गई।
- लेबर रुम में साफ–सफाई व्यवस्था उचित नहीं थी जिसके निर्देष दिये गये।
- लेबर रुम के टॉयलेट में ताला लगा हुआ था जिसे खुलवाया गया।
- कोल्ड चेन रूम में नियमित टीकाकरण प्रोटोटाइप चिपकाया नही गया था।
- प्रत्येक आई0एल0आर0 डीपफ्रीजर 1 वोल्टेज स्टेबलाइजर से नही जुडा था।
- वैक्सीन क्रम से नही रखी गयी थी जिसके बारे में जानकारी दी गयी।
- कोल्ड चेन हैन्डलर द्वारा बताया गया कि बी0सी0जी0 की सीरिंज नही है।जिसका फीड बैक सी0एम0ओ0 सर को दिया गया।
- जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाष्ते का विवरण निर्धारित प्रारुप/अभिलेख अपडेट नहीं था। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- फैमिली प्लानिंग काउन्सलर को कार्यक्रम की अधिक जानकारी नहीं थी। जिन्हे ट्रेनिंग करने के दिषा निर्देष दिये गये ।

<u>उपकेन्द्र कैमा –</u>

- ब्लाक जगदीषपुर के उपकेन्द्र कैमा का अवलोकन किया गया जो कि 24*7 सरकारी भवन में ही संचालित था।जो कि ब्लाक जगदीषपुर और अमेठी जनपद का एक मॉडल उपकेन्द्र हो सकता है।
- ए0एन0एम0 द्वारा उपकेन्द्र के भवन में ही प्रसव कराया जा रहा था। जिस पर 40–50 प्रसव का मासिक प्रसव भार पाया गया । वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अप्रैल से नवम्बर माह तक की अवधि में कुल 453 प्रसव कराया गया।
- प्रसव कक्ष में पानी, लाइट, इनर्वटर एवं टायलेट की ब्यवस्था अच्छी पाई गयी।
- लेबर रूम की साफ–सफाई व्यवस्था काफी अच्छी थी।
- ए0एन0एम0 की एस0बी0ए0 ट्रेनिंग हुयी थी और ए0एन0एम0 द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर, वजन, हिमाग्लोबिन इत्यादि का परीक्षण किया जा रहा था। ए0एन0एम0 को अच्छी जानकारी थी।
- ए0एन0एम0 और प्रधान द्वारा अनटाइड फण्ड का इस्तेमाल किया गया था जिससे उपकेन्द्र की स्थिति काफी अच्छी पाई गयी।
- उपकेन्द भवन और प्रसव कक्ष में किसी भी तरह की दीवाल लेखन और प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। जिसका सुझाव ए0एन0एम0 और ए0सी0मो0 को दिया गया।
- बी0सी0जी0 हेपेटाइटिस बी0 की जीरो डोज नही दी जा रही थी। निर्देश दिये गये कि अतिशीध्र नवजात शिशुओ को बी0सी0जी0 हेपेटाइटिस बी0 की जीरो डोज दी जाय।

उपकेन्द्र रूदौली–

- प्रसव कक्ष में पानी, लाइट, इनर्वटर एवं टायलेट की ब्यवस्था अच्छी नहीं पाई गयी।
- लेबर रूम की साफ–सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं थी।
- उपकेन्द भवन और प्रसव कक्ष में किसी भी तरह की दीवाल लेखन और प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। जिसका सुझाव ए0एन0एम0 और ए0सी0मो0 को दिया गया।
- बच्चे का वजन करने के बारे में बताया गया ।
- बच्चो को कम्बल में लपेटने के बारे में बताया गया ।
- गांव के प्रधान सियाराम मौर्या से मुलाकात की गयी तथा अन्टाइड फन्ड से उपकेन्द्र की विल्डिंग के पुननिर्माण कें बारें में बात की गयी।
- जिला सें विटामिन ए की स्टाक पोजीसन के बारे में जानकारी ली गयी जो कि 1120 बोतल थी।

संयुक्त जिला चिकित्सालय अमेठी–(एफ0आर0यू0)

- संयुक्त जिला चिकित्सालय अमेठी, वास्तविक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरीगंज (एफ.आर.यू.) के रूप में स्थापित है। षासन level से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण संयुक्त जिला चिकित्सालय के मानक के अनुसार मानव संसाधान का पद

create नहीं किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बातचीत के द्वौरान संज्ञान में लाया गया कि level-4 के 10 डॉक्टर की तैनाती मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में समायोजन होने से प्रषासनिक ओर प्रबंधन बहुद हद तक ठीक की जा सकती है।

- संयुक्त जिला चिकित्सालय अमेठी का Building काफी पुराना था।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली की धनराषि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अप्रैल से माह तक की अवधि में कुल 1638 प्रसव कराये गये जबकि 1638 प्रसव के सापेक्ष केवल 1010 लाभार्थियों का ही भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया था। प्रसव के उपरान्त यथाशीघ्र लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराषि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया। जबकि आषा की भुगतान की स्थिति 1612 के सापेक्ष केवल 1085 थी।

- संयुक्त जिला चिकित्सालय, अमेठी में वित्तीय वर्ष 2015–16 मे अब तक 01 सीजेरियन प्रसव कराया गया है जिसका कारण surgical instrument और Anaesthetic trolly का नहीं पाया जाना था। जबकि निश्चेतक चिकित्सक व सर्जन चिकित्सक कार्यरत है। ए0सी0मो0 एवं चिकित्सा प्रभारी को तत्काल कार्यवाही के निर्देष दिये गये और जल्द से जल्द सीजेरियन प्रसव की सेवा सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।
- प्रसव के पश्चात लाभार्थियों को जे0एस0वाई0 प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा था। ए0सी0मो0 एवं चिकित्सा प्रभारी को प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी भी नही थी। डी0सी0पी0एम को प्रमाण पत्र जिला स्तर से प्रिन्ट कराकर समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
- आ0ई0सी0 के तहत स्तनपान, कंगारू देखभाल, संक्रमण से बचाव, प्रसव पूर्व जॉच, प्रसव पष्चात देखभाल के प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। एवं पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया
- जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेष/सूचनाओं का लेखन पाया गया।
- लेबर रुम में कोई भी प्रोटोकाल पोस्टर एवं पर्दे इत्यादि नही लगे थे।
- लेबर रुम में कलर कोडेड बिन भी उपस्थित नहीं थे।
- लेबर रुम में सभी ट्रे का रख रखाव उचित ढंग से नहीं था। जिसकी जानकारी विस्तृत रूप में दी गई।
- लेबर रुम में दो लेबर टेबुल था। जिसमे एक टेबुल, कैलिपैड एवं बकैट बहुत गंदा था जिस तत्काल सफाई कर्मी द्वारा साफ कराया गया । लेबर रुम की साफ सफाई अच्छी नहीं थी और hand wash area के नीचे काफी पानी जाम लगा हुआ था।

- जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाष्ते का विवरण निर्धारित प्रारुप/अभिलेख के रुप में उपलब्ध नहीं था। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत फैसिलिटी बेस्ड मातृ मृत्यु समीक्षा समिति कमेटी बनी हुई थी। लेकिन माह अप्रैल से माह नवम्बर तक की अवधि में षून्य रिपोर्टिंग की गई जो कि अत्यन्त चिंतापूर्ण था। अतः इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और मातृ मृत्यु समीक्षा की विषेस्ता के बारे में बताया गया।
- वैक्सीन क्रम से नही रखी गयी थी जिसके बारे में जानकारी दी गयी।
- कोल्ड चेन रूम में अत्यधिक गंन्दगी पायी गयी । भ्रमण दल द्वारा निर्देश दिया गया कि सफाई की अतिशीध्र व्यवस्था की जाय

न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , रानीगंज (नान एफ.आर.यू.)

- न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 04 बिस्तरे वाली इकाई थी जिसमे 55–60 प्रसव का प्रत्येक माह का प्रसव भार था एवं ओ0पी0डी0 100 से 110 मरीज प्रतिदिन पाया गया।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400/– एवं रू 1000/– का भुगतान का रिकार्ड इकाई स्तर पर नही रखा जा रहा था। भ्रमण दल द्वारा प्रत्येक माह का जे0एस0वाई का लाभ प्राप्त लाभार्थियों का वित्तीय अभिलेख स्वास्थ्य इकाई में रखने एवं अपडेट करनें का सुझाव दिया गया।
- भ्रमण के दौरान मौजूद ए0एन0एम0 का एस0बी0ए0 प्रशिक्षण नही हुआ था जिस कारण वह बी0एच0टी0 एवं पार्टोग्राफ के बारे में अनभिज्ञ थी।
- प्रसव कक्ष में कोई भी प्राटोकाल फॉलो नही किया जा रहा था। किसी भी टेबल पर पर्दे भी नही लगे थे।
- प्रसव कक्ष के पीछे खुले गढा में placenta और other waste फेक दिया जाता था जिसके लिये तत्काल उचित निर्देष दिये गये।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेष/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

जनपद अमेठी के स्वास्थ्य इकाईयों के भमण के उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक के बिन्दु–

- आदेश सख्या पत्रांक– 8223.–2 ,जनपद अमेठी को दिनांक 21 को GM-NUHM द्वारा भ्रमण किया गया । उक्त भ्रमण में CMO Dr-Ananad ojha भ्रमण दल के साथ रहें और निरीक्षण के उपरान्त दिये गये सुझाव कियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।
- भ्रमण के द्वौरान CMO, अन्य अधिकारियो सें वार्ता के कम में यह महसूस किया गया कि उन्को कार्यकम एवं संम्बधित किया कलापो की समुचित जानकारी नही है।भ्रमण के समय GM-NUHM द्वारा यथावश्यक जानकारी दी गयी परन्तु भ्रमण दल का अभिमत है कि कम से कम तीन दिवस का चिकित्साधिकारियो एवं अन्य कर्मियो का अभिमुखीकरण कराया जाय।
- अमेठी जिला अस्पताल के रिर्काड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की जनपद में पत्रांक संख्या मुख्य चिकित्साधिकारी/ले04–3/समायोजन/2015/1818 CMO Office में ACMO ,DCMO जनपद कार्यकम अधिकारी का पद शासन द्वारा स्वीकृत है।HR की कमी मुख्यालय स्तर पर तत्काल स्वीकृत पद के सापेक्ष DCMO की नियुक्ति किये जाने का कार्यहित में संतुती की जाती है।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बातचीत के द्वौरान पाया गया कि जनपद अमेठी में मानव संसाधन कि अत्यधिक कमी हैं और उचित तरीके से Monitoring & supervision नहीं हो पा रहा है। बातचीत के द्वौरान संज्ञान में लाया गया कि यदि level-4 के 10 डॉक्टर की तैनाती मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हो जाय तो प्रषासनिक ओर प्रबंधन बहुद हद तक ठीक की जा सकती है।

- समस्त जनपद में जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रसव उपरान्त प्रदान किये जाने वाले जे0एस0वाई प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता के बारे में वार्ता की गयी एवं जनपद अमेठी में आयरन कि गोली कि उपलब्धता सुनिचित करनें का सुझाव दिया गया।
- संयुक्त जिला चिकित्सालय अमेठी, जो कि वास्तविक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरीगंज (एफ.आर.यू.) के रूप में स्थापित है। वहॉ सीजेरियन प्रसव की ब्यवस्था सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।

- जनपद अमेठी में मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत सूचित मातृ मृत्युओं की संख्या माह अप्रैल से नवम्बर तक की अवधि में वार्पिक लक्ष्य 192 के सापेक्ष केवल 09 मातृ मृत्यु रिर्पोटिंग की गई है।जो कि अत्यन्त खेद का विपय है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सुझाव दिया गया कि समस्त ब्लॉक स्तरीय प्रभारी चिकित्साधिकारियों/अधीक्षकों के माध्यम से प्रत्येक ए0एन0एम0 से प्रमाण पत्र ले लिया जाये कि उनके क्षेत्र में कोई भी मातृ मृत्यु सूचित होने से छूटी नहीं है। समस्त आषाओं को मृत्यु की सूचना की रू0–200.00` प्रोत्साहन धनराषि ससमय देना सुनिचितकिये जाने की स्वीकृति दी गई।

(सत्य प्रकाश)	**(मुकेश कुमार)**	**(डॉ0 अनिल कुमार मिश्रा)**
पी0सी0,(आर0आई0)	**परामर्शदाता,मातृस्वास्थ्य,**	**महाप्रबन्धक,राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन**